संचिका सं०—06 / गृ०(का०) आधु०—100 / 2023 ..../ जेल,

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०),

झारखण्ड, पो०—डोरण्डा, राँची।

राँची, दिनांक— / /2024 ई०।

विषय :— **वित्तीय वर्ष 2023—24 में राज्य स्कीम अंतर्गत मुख्यशीर्ष—4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, लघुशीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष—78—राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण / सुदृढ़ीकरण, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—45—निर्माण कार्य अंतर्गत राज्य के विभिन्न TSP काराओं में आवास की मरम्मति / निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 2,82,89,800 / — (दो करोड़ बयासी लाख नवासी हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023—24 में राज्य स्कीम अंतर्गत मुख्यशीर्ष—4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, लघुशीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष—78—राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण / सुदृढ़ीकरण, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—45—निर्माण कार्य अंतर्गत राज्य के विभिन्न TSP काराओं में विभिन्न मरम्मति / निर्माण कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन कुल राशि रू० 2,82,89,800 / — (दो करोड़ बयासी लाख नवासी हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

2. कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2023—24 में राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के विभिन्न TSP काराओं में विभिन्न मरम्मति / निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 2,82,89,800 / — (दो करोड़ बयासी लाख नवासी हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित विवरणी के अनुरूप प्रदान की जाती है :—

बजटशीर्ष	योजना का नाम	प्राक्कलन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
मुख्यशीर्ष—4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, लघुशीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष—78—राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण / सुदृढ़ीकरण, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—45— निर्माण कार्य	Construction of 02 no. of Stair Case for Administrative Building of Birsa Munda Central Jail, Hotwar in the district of Ranchi.	रू० 41,19,700 / —	रू० 41,19,700 / —
	Repair work of Kitchen at Birsa Munda Central Jail, Hotwar in the district of Ranchi.	रू० 30,99,800 / —	रू० 30,99,800 / —
	Repair work of Upper Division Cell (Male) (2 nos.) and Construction attached Kitchen, WC and Bath at Birsa Munda Central Jail, Hotwar in the district of Ranchi.	रू० 44,26,000 / —	रू० 44,26,000 / —
	Repair work of Upper Division Cell (Female) and Construction attached Kitchen, WC and Bath at Birsa Munda Central Jail, Hotwar in the district of Ranchi.	रू० 19,81,500 / —	रू० 19,81,500 / —
	Repair work of Property Boundary Wall behind the Residence Campus at Central Jail, Ghaghidih in the district of East Singhbhum.	रू० 19,65,100 / —	रू० 19,65,100 / —
	Repair work of Kitchen at Central Jail, Ghaghidih in the district of East Singhbhum.	रू० 25,10,500 / —	रू० 25,10,500 / —
	2 No's New High Mast Light, LT Cable for Factory and Repairing of 1 no. High Mast Light at Central Jail, Ghaghidih in the district of East Singhbhum.	रू० 27,62,700 / —	रू० 27,62,700 / —
	Repair work of Ward no. 1-5 at Mandal Kara, Saraikela in the district of Saraikela-Kharsawan.	रू० 42,61,100 / —	रू० 42,61,100 / —
	Repair work of Kara Gumti at Mandal Kara, Saraikela in the district of Saraikela-Kharsawan.	रू० 9,57,800 / —	रू० 9,57,800 / —

	Repair work of Cell at Mandal Kara, Saraikela in the district of Saraikela-Kharsawan.	रू० 22,05,600/–	रू० 22,05,600/–
	कुल योग–	रू० 2,82,89,800/–	रू० 2,82,89,800/–

3. उक्त योजना कार्य का कार्यान्वयन झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची द्वारा खुली निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।

4. उक्त व्यय का वहन राज्य स्कीम "मुख्यशीर्ष–4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–78–राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य" (विपत्र कोड–22S4055007967800O545) में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित काराधीक्षक होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी कर झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची के PL खाते में विधिवत हस्तांतरित करायेंगे। योजना पूर्ण होने की अवधि 02 (दो) वर्ष होगी।

6. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अधिसीमा के अन्तर्गत ही राशि का व्यय/आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना के क्रियान्वयन पर व्यय सक्षम स्तर से प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में तथा प्रशासनिक स्वीकृति की राशि अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

8. कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विषयांकित योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। उनका यह दायित्व होगा कि वे राशि के निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हों ले कि जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है तथा इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गयी है। किसी प्रकार का अवैध निकासी का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०–1269, दिनांक 21.09.2023 में निहित दिशा निर्देशों तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के स्थापित नियमों/प्रावधानों के तहत् योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा तथा योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/समीक्षा कारा निरीक्षणालय द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा, ताकि योजना का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय अवधि में पूर्ण हो सके।

10. योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाएगा।

11. योजना का Duplication नहीं हो, इसकी जिम्मेवारी कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची तथा संबंधित काराधीक्षक की होगी।

12. योजना के कार्यान्वयन में PWD Code, वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत संबंधित सभी वित्तीय/प्रशासनिक नियम/विनियम का अक्षरशः पालन किया जायेगा। Tax (IT / GST /Royalty) इत्यादि At Source / स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप Settle किया जाएगा।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(अविनाश कुमार)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 06/गृ०(का०)आधु०–100/2023 ....481..../ **राँची, दिनांक–** 30/01 **/2024 ई०।**

प्रतिलिपि :– कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित काराधीक्षक/मुख्य अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।